

न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

रैयती अपील वाद सं०-567/2017-18

रितिका केशरी बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत रैयती अपील रितिका केशरी, पिता प्रेम चंद केशरी, महल्ला-विभा बिल्ला, रोड नं० 13, थाना-शास्त्रीनगर, पटना द्वारा उप समाहर्ता भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय का बकास्त/ गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं० 35बी/2017-18 में दिनांक 27.12.2017 को पारित आदेश के विरुद्ध Bihar Land Reforms Act, 1950 की धारा-08 के अंतर्गत दिनांक 24.01.2018 को अपील आवेदन दाखिल किया गया है।</p> <p>अभिलेख अवलोकन किया। अपीलकर्ता के द्वारा अपील आवेदन Bihar land Reforms Act, 1950 की धारा-08 के अंतर्गत दाखिल किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-8 के प्रावधानों के अनुसार यदि अपर समाहर्ता के निचे स्तर के न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया हो तो अपील अपर समाहर्ता के समक्ष सुना जायेगा। अपर समाहर्ता के न्यायालय से यदि आदेश पारित होता है तो वैसी स्थिति में समाहर्ता अपील सुनने के लिए सक्षम होंगे।</p> <p>इस प्रकार न्यायालय निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रावधान के अनुकूल अपीलकर्ता के समक्ष अपील दायर करने हेतु अपर समाहर्ता के न्यायालय का विकल्प है, यदि आवेदक चाहें तो भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के आदेश के विरुद्ध अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। अपीलकर्ता के द्वारा अपर समाहर्ता के समक्ष अपील किए जाने के स्थिति में दिनांक 24.01.2018 से 19.05.2018 के विलम्ब को क्षांत समझा जायेगा तथा अपील आवेदन का विधि सम्वत् निष्पादन किया जायेगा।</p> <p>इस प्रकार अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;">14/5/18</p> <p>समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।</p>	